# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818; 2262607

क्रमांक : 210 /अका./सम्बद्धता/2020 रायपुर, दिनांक : 11 /09/2020

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 के अनुमोदनानुसार, **नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020–21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती हैः–

| क्र. | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | बी.पी.ई.(बेचलर ऑफ एजुकेशन) द्वितीय वर्ष | 40 | 2020–2021 |

**शर्तें** :–

01. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर ने अपने पत्र कमांक 2348/13/आउशि/अ.शै.प्र./2020 दिनांक 27.05.2020 के द्वारा अनुमति प्रदान की है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेगें ।
06. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें ।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तो के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
10. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करें ।
11. उपरोक्त पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष की संबद्धता हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक आवेदन प्रस्तुत करें।

**उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।**

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 11/9/20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 211 /अका./सम्बद्धता/2020 रायपुर, दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपि :–

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)।

02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।

04 संचालक, शारीरिक शिक्षा / विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05 स.कु.स. परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / उ.कु.स. गोपनीय / वित्त नियंत्रक / विकास,
06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07 कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ

8/1/20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

भाग 'ब'

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : [illegible] / [illegible] / [illegible]

निरीक्षण की तिथी : [illegible] [illegible]/06/[illegible] [illegible] [illegible]

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

| कक्षा | विषय | अपेक्षित सीट | सत्र | वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| बी.पी.एड द्वितीय वर्ष | शारीरिक शिक्षा | 40 | 2020-21 | संचालित |

| क्र. | विवरण | भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक | पात्रता/कमियों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता | 1(ii) | वैध |
| 2. | समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि | 1(iv) | 7.24 एकड़ भूमि उपलब्ध |
| 3. | इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि | 1(v) | 25,00,000 + 10,00,000 = 35,00,000 FDR संयुक्त नाम पर उपलब्ध |
| 4. | शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि | 2(iii), 2(v) | 18/05/2022 |
| 5. | महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं? | 3(xii) | स्वयं के भवन में संचालित है। |
| 6. | महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता | 3(xiv) | 16 Class Room मापदंड के अनुरूप उपलब्ध है। |
| 7. | यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता | 3(xvi) | उपलब्ध - 1. Athletic Care Lab 2. Anatomy & Physiology 3. Psychology Lab 4. ETS Lab. |
| 8. | प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता | 3(xvi) | पर्याप्त |
| 9. | प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता | 5(viii) | पर्याप्त |

[illegible signature] [illegible signature] 7/11/19

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता | 7(i), 7(vi) | [illegible] |
| 11. | महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें | 9 | Ground for Track, Football, Volleyball, Cricket, Handball, Basketball, Kho-Kho, Kabaddi, Lawn Tennis [illegible] LCD Projector, Hall उपलब्ध है। |
| 12. | यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है? | वि.वि. धारा 28 के अन्तर्गत [illegible] 07 सहायक प्राध्यापक की धारा 28 में [illegible] नियुक्ति की गयी है [illegible] पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त है। | |
| 13. | अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे | — N.A. — | |
| 14. | कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके। | 1) बी.पी.ई. प्रथम/द्वितीय वर्ष हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है। 2) धारा 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति है। | |

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक 02/07/2022

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1.
2. (1) डॉ. सी. डी. आगाशे
3. शारीरिक शिक्षा, अ.शा., पं.र.वि.वि. रायपुर
4. (संयोजक)

(2) डॉ. राजीव चौधरी
शारीरिक शिक्षा, अ.शा., पं.र.वि.वि. रायपुर

02/07/20[illegible]

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)